राजस्थान–सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर–302016

क्रमांक :– एफ.93/पार्ट–2/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2022/214-260 दिनांक 16.05.2022

दिशा–निर्देश

विषयः– एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से कार्य आवंटन करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में बीमा विभाग द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजनान्तर्गत **A-Z** कार्य आवंटन का प्रावधान था तथा विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा कार्य आवंटन में एकरूपता नहीं थी। वर्तमान में सभी संव्यवहार एसआईपीएफ पोर्टल पर संधारित किये जा रहे है एवं वर्तमान में एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर युनिट हेड की क्षमता से कार्य कर रहे संयुक्त/उप/सहायक निदेशक अपने विवेकानुसार कार्य आवंटन कर सकते है। विभागीय कार्मिकों के कार्य आवंटन करने हेतु एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर वर्क एलोकेशन मॉड्यूल विकसित कर युनिट हेड के स्तर पर **User Management > Work Distribution** में उपलब्ध करवा गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्न किया प्रणाली हैः–

- विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उनके टास्क (राज्य बीमा/जीपीएफ के आहरण/ऋण/क्लेम) उनको आवंटित किये गये बजट हैड अनुसार एवं **alphabetic** अनुसार टास्क आने प्रारम्भ हो गये है।

- यदि कोई जिला कार्यालय में कोई भी ऐसे राज्य कार्मिक का टास्क आ जाता है जो कि किसी को भी आवंटित नहीं है, इस हेतु सिस्टम को इस प्रकार से विकसित किया गया है कि इस प्रकार के टास्क उन कार्मिको (डिलिंग असीसटेंट) के लॉगिन में जायेंगे जिनको कि कोई भी बजट हैड/राज्य कार्मिक नहीं आवंटित नही किये गये है।

- राज्य बीमा के अभियान हेतु डिलिंग असीसटेंट के लॉगिन में **SI > SI Campaign 2022** में **Dealing Assistant** को आवंटित राज्य कार्मिक उपलब्ध करवा दिये गये है जिनमें डिलिंग असीसटेंट द्वारा अभियान का कार्य किया जा सकता है।

- जीपीएफ अभियान में मुख्य रूप से ऑल्ड लेजर अपडेशन का कार्य पूर्ण किया जाता है। नवीन एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर ऑल्ड लेजर अपडेट किये जाने हेतु कियाविधि दिनांक 20.05.2022 तक उपलब्ध हो जावेगी।

- एक डिलिंग असीसटेंट के अवकाश पर जाने अथवा अन्य किसी कारण से जिलाधिकारी उस डिलिंग असीसटेंट के पेंडिग टास्क किसी अन्य डिलिंग असीसटेंट को आवंटित कर सके, इस हेतु प्रक्रिया विकसित की जा रही है, जो कि निकट भविष्य में उपलब्ध करवा दी जायेगी।

➢ जिलाधिकारी को अपने जिला कार्यालय के उपलब्ध डिलिंग असीसटेंट के आवंटित कार्यो में बदलाव करना हो, इस प्रयोजनार्थ भी प्रक्रिया विकसित की जा रही है जोकि निकट भविष्य में जिलाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध करवाया जायेगा।

➢ जीपीएफ अभियान–2022 की मॉनिटरिंग हेतु डेशबोर्ड विकसित किया जा रहा है जोकि यूजर रोल (युनिट हेड/सूपरवाईजर/डिलिंग असीसटेंट) के अनुसार कार्यो की मॉनिटरिंग की जा सकेगी।

(योगमित्र दिनकर)
अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स

क्रमांक :– एफ.93/पार्ट–3/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2021/214-260 दिनांक 16.05.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक, बीमा/पीएफ, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय।
5. सहायक/उप/संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय
6. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स